रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 1993/श्रावण 11, 1915
No. 144] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 1993/SRAVANA 11, 1915

लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग

संकल्प

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1993

सं. 4/1/93-के.वी.आई.-1—खादी एवं ग्रामोद्योग अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर ग्रामीण रोजगार प्रदान करके तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग करके हमारी अर्थ व्यवस्था के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसकी संभावना ग्रामीण क्षेत्रों में विकेन्द्रीकृत आर्थिक विकास के जरिये आत्म-निर्भरता को एक उपकरण के रूप में माना था और इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया था। उन्होंने 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन (ए.आई.एस.ए.) अथवा अखिल भारत चर्खा संघ नामक एक स्वायत्त-शासी संगठन का भी गठन किया था और इसमें राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को शामिल किया था। कुछ निर्जीव हो रहे ग्रामीण तथा परम्परागत उद्योगों को सजीव बनाने के उद्देश्य से 1935 में ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसो (ए.आई.वी.आई.ए.) नामक एक अन्य संगठन का भी गठन किया गया था। स्वतंत्रता से पहले खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास गांधी जी के उत्प्रेरक मार्गनिर्देश के तहत पूर्ण-तया एक गैर-सरकारी प्रयास था। तथापि, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास को राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजनाओं के सम्पूर्ण ढांचे के भीतर लाने का दायित्व लिया। 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास हेतु योजना बनाने, संवर्धन करने, संगठन बनाने तथा कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए "खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग" नामक एक विधायी संगठन बनाया गया। पिछली अवधि के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर के.वी.आई.सी. और राज्य स्तर पर खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड साथ में स्वयं सेवी संस्थाएं खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम चलाने तथा सरकारी निधि को श्रेणीकृत करने एवं सृजित करने व इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास को समर्थन देने के लिए प्रमुख अभिकरणों के रूप में विकसित की गई हैं।

2 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बनने से खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास ने एक लम्बा सफर तय किया है। 1955-56 में के.वी.आई.सी. के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत 2 राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, 242 पंजीकृत संस्थाओं तथा 60 सहकारी समितियों से यह संख्या बढ़कर अब 30 राज्य के.वी.आई. बोर्डों, 2320 पंजीकृत संस्थाओं, 29,813 सहकारी समितियों जिनमें 170 विभागीय एकक और देश के 2.1 लाख गांवों में कार्यरत 14,113 बिक्री केन्द्रों तक पहुंच गई है। 1955-56 में जो उत्पादन 16.47 करोड़ (खादी 5.54 करोड़ रु. तथा ग्रामोद्योग 10.93 करोड़ रु.) के स्तर पर था अब बढ़कर 2,593 करोड़ रु. (जिसमें 329 करोड़ रु. खादी के तथा 2,264 करोड़ रु. मूल्य के ग्रामोद्योग के उत्पाद शामिल हैं) हो गया है। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान रोजगार स्तर 9.64 लाख व्यक्तियों से बढ़कर 50 लाख व्यक्ति हो गया है जिसमें अंश-कालिक रोजगार (46 प्र. महिलाएं तथा 30 प्रतिशत अनु. जाति व अनु. जन जाति) शामिल है।

3 यद्यपि खादी तथा ग्रामोद्योग ने पिछले समय में महत्वपूर्ण प्रगति की है फिर भी कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं जो इस क्षेत्र के

तीव्र विकास और निर्बाध कार्य में रुकावट पैदा कर रही है। कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं :--

1. इस क्षेत्र के उत्पाद बड़े उद्योगों के उत्पादों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं हो पाये हैं,

2 निधियों का अपर्याप्त आबंटन, पूंजीगत परिसम्पत्तियों हेतु दीर्घावधि निधियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से कार्यशील पूंजीगत निधियों की अनुपलब्धता और के.वी.आई.सी. द्वारा विभिन्न संस्थाओं को जारी किये गये पात्रता प्रमाणपत्रों को बैंकों द्वारा भी सम्मान न दिया जाना,

3. आयोग द्वारा पर्याप्त निधियों विशेषतः छूट संबंधी दावे तथा बैंकों को ब्याज राज सहायता, जारी करने में विलम्ब,

4 इस क्षेत्र पर विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करना जिसके कारण इस क्षेत्र को कठिनाई होना।

4. खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र की प्रगति एवं बहुमुखी विकास तेज करने के लिए सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का संकल्प करती है :

1. प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2. श्री ए.के. एंटनी, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता कार्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री	कार्यकारी अध्यक्ष
3. वित्तमंत्री	सदस्य
4. उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
5. राज्य मंत्री (लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)	सदस्य
6 राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास)	सदस्य
7. राज्य मंत्री (श्रम)	सदस्य
8 श्री नवलकिशोर शर्मा, महासचिव, ए;आई.सी.सी. (आई)	सदस्य
9 श्री बाल विजय संयोजक, खादी मिशन, गोपुरी, वर्धा	सदस्य
10. श्री सोम दत्त, भू.पू० अध्यक्ष, के.वी.आई.सी. तथा सचिव खादी आश्रम, पानीपत।	सदस्य
11. श्री वी. रामचन्द्रन, भू०पू० सदस्य सचिव, भारतीय ग्रामोद्योग (दक्षिण), कोयम्बटूर	सदस्य
12 श्रीमती जया जहन शाह, अध्यक्ष, सौराष्ट्र रचनात्मक समिति, राजकोट	सदस्य
13 श्रीएस.के. बन्दोपाध्याय, सचिव, गांधी स्मारक निधि एवं भू.पू. सदस्य, के.वी.आई.सी.	सदस्य
14 श्रीवघेश सिंह, सचिव, गांधी आश्रम, बाराबंकी।	सदस्य
15 श्रीमती लेन्टिना ठक्कर, नागालैंड गांधी आश्रम, पी.ओ. चूचिमबंग, कोहिमा।	सदस्य
16. अध्यक्ष, के.वी.आई.सी.	सदस्य
17. श्रीमती मोहसिना किदवई	सदस्य
18. श्री मनुभाई मेहता	सदस्य
19. श्री लक्ष्मी दास	सदस्य
20. सचिव (एस.एस.आई. एंड ए.आर. आई.)	सदस्य

5. उच्च अधिकार प्राप्त समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के निरन्तर प्रगति तथा विकास हेतु उपयुक्त नीति समर्थन (आरक्षण सहित) की जांच करना तथा सुझाव देना,

(2) सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना और आयोग, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से पर्याप्त व समय पर ऋण सुनिश्चित करना।

(3) पर्याप्त कच्चे माल की पूर्ति, विपणन सहायता तथा अन्य सुविधाओं हेतु उपायों को सिफारिश करना।

(4) प्रशिक्षण सुविधाओं हेतु वर्तमान बुनियादी ढांचे की जांच करना और कामगारों, सुपरवाइजरी स्टाफ, प्रबंधकीय कार्मिकों और संवर्धनात्मक कार्यकलापों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए ऐसी सुविधाओं में सुधार करने हेतु उपाय सुझाना,

(5) अनुसंधान और आधुनिकीकरण हेतु उपायों की सिफारिश करना तथा इसके दर्शन व लोकाचार को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना,

(6) के.वी.आई.सी. तथा के.वी.आई. बोर्डों का पुनर्गठन करने के उपाय सुझाना ताकि ये संगठन अपने कार्य और विकेन्द्रीकृत तथा प्रभावशाली तरीके से कर सकें।

(7) के.वी.आई क्षेत्र, पंचायत राज संस्थाओं तथा अन्य अभिकरणों एवं ग्रामीण विकास में लगे सरकारी विभागों के बीच और अधिक व्यक्तिगत भागीदारी तथा प्रभावशाली समन्वय करने के उपायों की सिफारिश करना।

(8) इन संस्थाओं द्वारा शुरू किये गये कार्यकलापों के विशेष स्वरूप को ध्यान में रखते हुए जांच करना कि वाणिज्यिक तथा लाभ देने वाले संगठनों के लिए बनाये गये मौजूदा श्रम कानून किस सीमा तक के.वी.आई. संस्थाओं पर लागू किये जाने चाहिएं।

(9) इस विषय से संबंधित अन्य कोई मामला।

यह समिति जब आवश्यक समझेगी अपनी सुविधानुसार देश में किसी स्थान पर बैठक करेगी। यह समिति सौंपे गये कार्य को पूरा करने के लिए स्वयं को कार्यविधि विकसित करेगी और इस संकल्प की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट व अंतिम रूप देगी।

एस.बी. महापात्र, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF SSI & ARI

RESOLUTION

New Delhi, the 30th July, 1993

No. 4/1/93-KVI-I.—Khadi and Village Industries have been playing a very important role in the development of our economy by providing rural employment at a comparatively low capital cost and utilising a substantial amount of locally available resources. Mahatma Gandhi, the Father of the Nation, had realised its potential as an instrument of self-reliance through decentralised economic growth in the rural areas and had made it a part of the constructive programme during the Independence movement. He also established an autonomous organisation called All India Spinners Association (AISA) or

Akhil Bharat Charkha Sangh in 1925 and associated top national leaders at the national and stage levels with it. In order to invigorate some of the languishing village and traditional industries, in 1935 another organisation with name All India Village Industries Association (AIVIA) was also formed. Prior to Independence, the development of Khadi and Village Industries was entirely a non-government effort under the inspired guidance of Gandhiji. However, after Independence, the Government of India assumed the responsibility of bringing development of Khadi and Village industries within the overall framework of the national Five Year Plans. In 1956 by an Act of Parliament, a statutory organisation named 'Khadi and Village Industries Commission' was set up to plan, promote, organise and assist the implementation for the development of khadi and village industries. Over a period of time, KVIC at the national level and Khadi and Village Industries Boards at the State level, together with voluntary institutions, have developed as the main agencies for carrying the khadi and village industries programme and for channelising Government fund as well as create and sustain the development of the sector as a whole.

2. The development of khadi and village industries have come a long way since the creation of the Khadi and Village Industries Commission in 1956. From 2 State Khadi and Village Industries Boards, 242 registered institutions and 60 cooperatives under the purview of KVIC in 1955-56, the number has increased now to 30 State KVI Boards, 2320 registered institutions, 29,813 cooperatives with 170 departmental units and 14,113 sales outlets operating in 2.1 lakh villages in the country. Production which was at the level of Rs. 16.47 crores (Khadi Rs. 5.54 crores and Village Industries Rs. 10.93 crores) in 1955-56 has now increased to Rs. 2.593 crores (with Rs. 329 crores of khadi and Rs. 2,264 crores worth products of village industries). Similarly, the employment level has increased during the same period from 9.64 lakh persons to 50 lakh persons including part-time employment (women 46 per cent and SC & ST 30 per cent).

3. Although Khadi and Village Industries have made significant progress over a period of time, yet certain serious problems have cropped up which are hindering faster development and smooth functioning of this sector. Some of the major problems are :

(i) The products of this sector have not been able to compete effectively with the products of large scale industries;

(ii) Inadequate allocation of funds, non-availability of longer term funds for capital assets, working capital funds from financial institutions, banks and also non-honouring of the eligibility certificates by banks issued to the various institutions by KVIC;

(iii) Delay in release of adequate funds by the Commission particularly rebate claim and reimbursement of interest subsidy to banks;

(iv) Application of various labour laws on this sector causing hardship to this sector.

4. To accelerate the growth and all round development of the khadi and village industries sector, the Government hereby resolves to constitutes a High Power Committee as follows :—

1.	Prime Minister	—Chairman
2.	Shri A. K. Antony, Minister of Civil Supplies, Consumer Affairs & Public Distribution	—Working Chairman
3.	Minister of Finance	—Member
4.	Deputy Chairman, Planning Commission	—Member
5.	MOS (SSI&ARI)	—Member
6.	MOS (Rural Development)	—Member
7.	MOS (Labour)	—Member
8.	Shri Nawal Kishore Sharma, General Secretary AICC(I)	—Member
9.	Shri Balvijay, Convenor, Khadi Mission, Gopuri, Wardha.	—Member
10.	Shri Som Dutt, Ex-Chairman, KVIC & Secretary, Khadi Ashram, Panipat.	—Member
11.	Shri V. Ramachandran, Ex-Member Secretary, Bhartiya Gramodyog (South) Coimbatore.	—Member
12.	Smt. Jaya Behan Shah, Chairperson, Sourashtra Rachnatmak Samiti, Rajkot.	—Member
13.	Shri S. K. Bandopadhyaya, Secretary, Gandhi Smarak Nidhi & Ex-Member, KVIC.	—Member
14.	Shri Awadhesh Singh, Secretary, Gandhi Ashram, Barabanki.	—Member
15.	Smt. Lentina Thakkar, Nagaland Gandhi Ashram, PO Chuchimbung, Kohima.	—Member
16.	Chairman, KVIC.	—Member
17.	Mrs. Mohsina Kidwai	—Member
18.	Shri Manubhai Mahta	—Member
19.	Shri Laxmi Das	—Member
20.	Secretary (SSI&ARI)	—Member

5. The terms of reference of the High Power Committee shall be as follows :—

1. To examine and suggest appropriate policy support (including reservation) for sustained growth and development of khadi and village industries sector;

2. To suggest measures to augment investment by the Government in this sector and to ensure adequate and timely-credit flow from the Commission, financial institutions and banks;

3. To recommend measures for supply of adequate raw materials, marketing support and other facilities.

4. To examine the present infrastructure for training facilities and suggest measures for improving such facilities for artisans, supervisory staff, managerial personnel as well as persons engaged in promotional activities;

5. To recommend measures for research, further modernisation and adoption of appropriate technology with a view to increase productivity, keeping in view its philosophy and ethos;

6. To suggest methods for restructuring KVIC and KVI Boards so that these organisations could discharge their functions in a more decentralised and effective manner;

7. To recommend measures for achieving grater peoples participation and effective coordination between KVI sector, panchayat raj institutions and other agencies and Departments of the Government engaged in rural development.

8. To examine to what extent the existing labour laws meant for commercial and profit making organisations should be applied to KVI institutions keeping in view the special nature of activities undertaken by these institutions;

9. Any other matter relevant to the subject.

6. The Committee shall meet as often as it considers necessary and at any place in the country convenient to it. The Committee shall evolve its own procedure for fulfilling the task entrusted to it and finalise its report within three months from the date of the Resolution.

S. B. MOHAPATRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993